न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2017 (राजसमन्द आर्डर

श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री लहरू जी पत्नी किशनलाल जी, जाति जाट, निवासी जीवाखेड़ा हाल निवासी चौथपुरा, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जवाहरमल मुतबन्ना गोकल जी जाट, निवासी जीवाखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कालुराम पिता चम्पालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. किशनलाल पिता चम्पालाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. विनोद पिता ख्यालीलाल जी सामर, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. उदयराम पिता एकलिंग जी सुथार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 05.06.2017 प्र॰सं॰ 11/16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर आचार्य अभिभाषक रेस्पो.सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात स्थित हैं। प्रार्थीया लेहरू की जाईन्दा सन्तान है तथा विपक्षी

संख्या 2 प्रार्थीया का सगा भाई है एवं सभी हिन्दू विधि से अधिशाषित होते हैं। स्वर्गीय लेहरू पिता सवाईराम का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर सवाईराम के दो पुत्र गोकल व लेहरू हुए। लेहरू के दो पुत्र जवाहरमल व धनराज तथा एक पुत्री प्रार्थीया हुए। जवाहरमल गोकल के संतान नहीं होने से उनके गोद चला गया तथा गोकल जी की मृत्यु पर जवाहरमल को गोकल की चल अचल सम्पत्तियां प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में उसके नाम पर दर्ज हुई हैं। लेहरू के दो वारिस धनराज व प्रार्थीया रहे, किन्तु जवाहरमल ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 की भूमियां लेहरू की मृत्यु के बाद धनराज एवं प्रार्थीया के नाम दर्ज होनी चाहिए थी एवं दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा है। राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 ''ब'' में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 कालूलाल एवं विपक्षी संख्या 3 किशनलाल को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, जो प्रार्थीया के मुकाबले शून्य व बेअसर हैं। बाद में विपक्षी संख्या 3 द्वारा भी विपक्षी संख्या 4 विनोद कुमार को आराजी नंबर 2410 एवं 2415 का 80/358 भाग विक्रय कर दिया गया तथा विपक्षी संख्या 4 द्वारा आगे विपक्षी संख्या 5 उदयराम को विक्रय कर दिया है। उक्त सभी विक्रय प्रार्थीया के मुकाबले अवैध व शून्य है। अतएवं निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 ''अ'' व ''ब'' में वर्णित आराजियात किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09–03–2017 को विपक्षी संख्या 1 से 5 को जबाब हेतु अन्तिम अवसर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के वियद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये। दिनांक 04–05–2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखी जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी कर पत्रावली कैम्प में दिनांक 05–06–2017 को पेश किये जाने का अंकन किया गया तथा दिनांक 05–06–2017 को आदेशिका में निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''पत्रावली राज्य सरकार के न्याय आपके द्वारा 2017 के राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प रेलमगरा में रखी गयी। पक्षकारान बावजूद सूचना

अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण 6 माह से भी अधिक पुराना होकर उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विवादास्पद मामला उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र में कोई विवादास्पद मामला उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया वृद्ध होकर अनपढ़ ग्रामीण महिला है। दिनांक 22–08–2017 को प्रार्थीया को ऐसी जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमियों को और आगे अन्तरित होने की संभावना है, इस पर व अपने अधिवक्ता ने मिली एवं समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करायी। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर आचार्य उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट की कोई सूचना नहीं दी गयी तथा

अपीलान्ट को बिना सुने तथा बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं होकर मनमकसूद तरीके से पारित निर्णय है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2017 को प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखे जाने का आदेश दिया है, परन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट को इसकी कोई सूचना दिये बिना दिनांक 05–06–2017 को पक्षकारान की अनुपस्थिति में सरसरी निर्णय पारित कर दिया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया। निर्णय में सिर्फ यह अंकित किया कि प्रकरण 6 माह से अधिक पुराना होकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवादास्पद मामला उत्पन्न नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों पर कोई विवेचन नहीं कर सरसरी निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–06–2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण का जवाब लेकर तथा उभयपक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर विवेचन कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–08–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर